

# Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 129–2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 1, 2018 (SRAVANA 10, 1940 SAKA)

## हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

# अधिसूचना

दिनांक 01 अगस्त, 2018

संख्या 72/एस॰टी॰ 1/ह॰अ॰ 6/2003/धा॰ऽ५/2018.— हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 60/एस०टी०1/ह०अ० 6/2003/धा०५५/2018, दिनांक 27 जून, 2018, के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

## संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,-

- 1. अनुसूची क में,-
  - (i) खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 3 क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

 1
 2
 3

 "3 क विमानन टरबाईन ईंधन प्रविष्टि 7 और 3 ख के अध्यधीन
 20%";

(ii) खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 3 क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1 2 3

"3 ख विमानन टरबाईन ईंधन जब अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष के 1%"; लिए, इस शर्त के अध्यधीन कि विक्रेता व्यवहारी नीचे दिए गए और सम्यक् रूप से भरे गए तथा क्षेत्रीय संयोजकता योजना के उड़ान आपरेटर के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, क्षेत्रीय संयोजकता योजना हवाई अड्डों (सरकार द्वारा यथा अधिसूचित) पर क्षेत्रीय संयोजकता योजना (आर.सी.एस.) यू.डी.ए.एन. उड़ानों को बेचा गया हो ।"।

क्षेत्रीय संयोजकता योजना हवाई अड्डों पर विमानन टरबाईन ईंधन के क्रय के लिए प्रमाणपत्र					
क्रम संख्या					
प्रमाणित किया जाता है कि विमानन टरबाईन ईंधन (ए०टी०एफ०) जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है <b>(विमानन टरबाईन ईंधन बेचने वाले व्यवहारी का नाम) से (क्षेत्रीय संयोजकता योजना हवाई अड्डे का नाम)</b> हवाई अड्डे पर <b>(एयरलाईन का नाम)</b> क्षेत्रीय संयोजकता योजना उड़ान संख्या 4 जाने वाली है, के लिए क्रय किया गया है।					
	क्रम संख्या	बीजक संख्या	दिनांक	मात्रा	मूल्य
दिनांक	एयरलाईन के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर				
एयरलाईन के प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम					
*एक प्रमाणपत्र में केवल एक तिमाही के क्रय ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे।					

संजीव कौशल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग ।

1%";

#### HARYANA GOVERNMENT

### EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

#### **Notification**

The 1st August, 2018

**No. 72/ST-1/H.A.** 6/2003/S.59/2018. - In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. Web. 60/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2018, dated the 27th June, 2018, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule A appended to said Act with immediate effect, namely:-

## **AMENDMENT**

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),-

- 1. in Schedule A,-
  - (i) under columns 1, 2 and 3, for serial number 3A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

1 2 3

"3A Aviation Turbine Fuel subject to entry 7 and 3B 20 %";

(ii) under columns 1, 2 and 3, after serial number 3A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

1 2 3

"3B Aviation Turbine Fuel when sold to Regional Connectivity Scheme (RCS)-UDAN Flights at RCS Airports (as notified by Government) for three years from the date of publication of notification, subject to the condition that the selling dealer shall furnish a certificate in the format given below duly filled and signed by the authorised person of the RCS Flight Operator.